

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृस्वा0/131ए/2016-17/5328-75 दिनांक 14.09.2016

विषय- प्रदेश के सभी जनपदों में दिनांक 14 से 21 अक्टूबर 2016 तक "मातृत्व सप्ताह के द्वितीय चरण" आयोजित किये जाने हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप जानते हैं कि प्रदेश में लगभग 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी (एनीमिया) पायी जाती है जो अत्यधिक मातृ मृत्यु दर का कारण भी है। इसके अतिरिक्त मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिये गर्भावस्था के दौरान मुख्य जटिलताओं की समय से पहचान, इलाज व सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराना भी अत्यन्त आवश्यक है।

आपके सक्रिय सहयोग एवं प्रभावी नेतृत्व में माह जनवरी 2016 में स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य पोषण मिशन द्वारा प्रदेश के सभी गाँवों में मातृत्व सप्ताह का आयोजन किया गया जिसके दौरान 17,65,104 (लगभग 28 प्रतिशत) गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण हुआ। इनमें से 15,97,102 गर्भवती महिलाओं की समस्त जाँचें की गयीं। सभी जनपदों में जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण किया गया और उनकी ब्लॉक/जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाइयों पर जाँचें कराई गयीं। इन गतिविधियों के दूरगामी परिणाम अपेक्षित हैं और यह प्रदेश की मातृ मृत्यु दर में निश्चित ही प्रभावी गिरावट लाने में सहायक होंगी। इस अभियान के फलस्वरूप ग्रामीण अंचलों में हीमोग्लोबिन तथा ब्लड प्रेशर की जाँच तथा जटिलता वाली गर्भावस्था के चिन्हीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

आप अवगत हैं कि मातृ एवं बाल स्वास्थ्य माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान इस प्रयास को और मजबूती प्रदान करने तथा ग्रामीण अंचलों में गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल के प्रति बढ़ती हुयी जागरूकता को संस्थापित करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-11/55/पाँच-9-2016 दिनांक 01/09/2016 के माध्यम से इस वर्ष "मातृत्व सप्ताह का द्वितीय चरण" आयोजित किये जाने हेतु सभी व्यवस्थाएँ दी गयी हैं। वर्तमान में प्रदेश में बाढ़ व संक्रामक रोगों के प्रकोप के दृष्टिगत इस अभियान की तिथियाँ 14 से 21 अक्टूबर 2016 के मध्य पुनर्योजित की गयी है। इस रणनीति के तहत सभी जनपदों में दिनांक 14 से 21 अक्टूबर 2016 तक "मातृत्व सप्ताह" के निर्देश के दौरान ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों का आयोजन किया जाना है तथा 24-25 अक्टूबर 2016 को प्रत्येक ब्लॉक व जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाइयों पर एच0आर0पी0 दिवस का संचालन किया जाना है।

सभी एच0आर0पी0 महिलाओं का निरन्तर फालोअप, चिकित्साधिकारी द्वारा जाँच व उपचार आवश्यक है जब तक कि उनका सुरक्षित संस्थागत प्रसव न हो जाये। इस कार्य में आशा, ए0एन0एम0 तथा चिकित्सकों, सभी की अहम भूमिका है। भारत सरकार ने भी इस गतिविधि को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2016-17 में ए0एन0एम0 के लिये एफ0एम0आर0 कोड- A.1.5.8 में रू0-600.00 लाख एवं आशाओं के

लिये एफ0एम0आर0 कोड— A.1.5.9 में रू0—900.00 लाख की विशेष प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत की है। वर्तमान में इस धनराशि का 50 प्रतिशत आपको अवमुक्त की जा रही है।

इस हेतु व्यापक रूप से मातृत्व सप्ताह द्वितीय चरण का संचालन किये जाने हेतु निम्न प्रकार से तैयारी की जानी है —

- दिनांक 20 सितम्बर 2016 को मुख्य चिकित्साधिकारी सभी अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों, सभी ब्लॉकों के प्रभारियों, सी0एच0सी0 के अधीक्षकों व सी0डी0पी0ओ0 के साथ-साथ डी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0 की बैठक बुला लें। इस बैठक में—
 - ✓ मातृत्व सप्ताह के आयोजन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—11/55/पाँच-9-2016 दिनांक 01/09/2016 एवं तिथियों के पुर्ननियोजन सम्बन्धी शासनादेश का पठन पाठन किया जाये, प्रारूपों का मुद्रण/फोटोकॉपी तथा माइक्रोप्लान के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाये।
 - ✓ आई0ई0सी0 प्लान की रणनीति व जनपदीय पर्यवेक्षण पर निर्णय लिया जाये।
 - ✓ जनपद व ब्लॉक को आबंटित बजट के उपयोग पर सम्यक विचार विमर्श कर निर्णय लिये जायें।
 - ✓ सभी प्रारूपों का मुद्रण एवं उपलब्धता 24 सितम्बर 2016 तक पूर्ण हो जानी चाहिए। आई0ई0सी0 सामग्री (होर्डिंग, बैनर व पोस्टर) के मुद्रण की व्यवस्थाएँ भी इसी तिथि को कर दी जायें।
- दिनांक 03 अक्टूबर को अपने जनपद एवं ब्लॉक स्तर तक के सभी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मातृत्व सप्ताह के आयोजन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रतिभाग करें एवं मातृत्व सप्ताह के आयोजन की रणनीति के विषय में चर्चा कर पर्यवेक्षण नीति भी तैयार कर लें।
- मातृत्व सप्ताह के दौरान गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु क्रियाशील वजन मशीनों की उपलब्धता, खून की हीमोग्लोबिन जाँच, पेशाब की शुगर व एल्ब्यूमिन जांच हेतु उपकरणों की व्यवस्था, ब्लड प्रेशर उपकरण की व्यवस्था, संशोधित एम0सी0पी0 की कार्ड की उपलब्धता, जांच की गतिविधि से सम्बन्धित विभिन्न प्रारूपों की प्रिंटिंग एवं उसकी समस्त स्तरों पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व ब्लॉक प्रभारी के साथ साथ जिला प्रशासन का भी होगा। इस कार्य को जनपद स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय कन्ट्रोल रूम स्थापित कर पूर्ण किया जायेगा।
- प्रत्येक ब्लॉक में दिनांक 05 अक्टूबर 2016 को ए0एन0एम0 द्वारा प्रारूप-2 पर माइक्रोप्लान तैयार कर लिया जाये। इस गतिविधि के साथ ही समस्त उपकरणों की क्रियाशीलता की जानकारी ले लें व आवश्यकतानुसार उपलब्धता/रिप्लेसमेंट भी सुनिश्चित कर लें।

क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण योजना

- दिनांक 05 अक्टूबर को प्रत्येक ब्लॉक के क्लस्टर निर्धारित करते हुये प्रारूप-3 व 5 पर पर्यवेक्षण योजना बनाई जाये।
- सभी पर्यवेक्षक प्रत्येक सत्र के लिये प्रारूप-13 पर पर्यवेक्षण करेंगे एवं प्रारूप ब्लॉक/जनपद स्तर पर जमा करेंगे। प्रत्येक सत्र के लिये पृथक प्रारूप-13 भरा जायेगा।
- विश्वास है कि वी0एच0एन0डी0 प्रशिक्षण के दौरान सभी ए0एन0एम0 का कौशल विकास किया जा चुका होगा। वी0एच0एन0डी0 के संचालन हेतु कौशल विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए।

- पल्स पोलियों अभियान के दौरान ए०एन०एम० आशा व आंगनबाड़ी को मातृत्व सप्ताह की गतिविधियों के विषय में अवगत करायेगी एवं सभी आशाओं को आशा प्रारूप पर गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण कर 05 अक्टूबर 2016 तक ए०एन०एम० को उपलब्ध कराने हेतु जानकारी देगी।
- दिनांक 07 अक्टूबर 2016 को क्लस्टर परियोजना के अनुसार नियुक्त पत्रों (प्रारूप-6) को जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत किया जायेगा।
- दिनांक 07 अक्टूबर 2016 को प्रारूप-4 पर सभी ब्लॉक स्तरीय माइक्रोप्लान तैयार हो जाने चाहिए।
- सभी सत्रों के दौरान टी०टी० वैक्सीन की व्यवस्था "वैकल्पिक वैक्सीन डिलीवरी" के माध्यम से की जायेगी तथा सप्ताह के मध्य पड़ने वाले बुधवार व शनिवार को नियमित टीकाकरण सेवाएं भी साथ में दी जायेंगी।
- उपकेन्द्र स्तर से जनपद स्तर तक सभी रिपोर्टिंग प्रारूपों (7-12) पर समझ बनाना अत्यन्त आवश्यक है। सभी स्तरों पर रिपोर्टिंग प्रपत्र उपलब्ध रहने चाहिए। किस स्तर से किस प्रारूप पर रिपोर्ट प्रेषित की जानी है यह स्पष्ट होना चाहिए उदाहरणार्थ उपकेन्द्र से मात्र 9 नम्बर प्रारूप पर ही रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी। प्रारूप 2-6 मातृत्व सप्ताह आरम्भ होने से पूर्व ही प्राप्त कर लिये जायेंगे। रिपोर्टिंग प्रारूपों 7-8 पर प्रतिदिन की गतिविधि के पश्चात रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी जबकि प्रारूप 9, 10 व 11 पर पूरे सप्ताह की समाप्ति के पश्चात संकलित रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। एच०आर०पी० दिवस की संकलित रिपोर्ट प्रारूप-12 पर प्रेषित की जायेगी।
- ब्लॉक प्रभारी ए०डी०ओ० पंचायत व सी०डी०पी०ओ० के साथ सभी ए०एन०एम० से सत्र स्थल पर गर्भवती माताओं के समस्त जांचों, बैठाने, लिटाने एवं निजता सम्बन्धी सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा कर स्थल का निर्धारण व व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- मातृत्व सप्ताह के आयोजन हेतु सभी प्रधानों को उनके क्षेत्र में 08 दिवसों में आच्छादित किये जाने वाले गाँवों की सूची आशाओं द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी जिससे वे ग्रामवासियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर सकें।
- जनपद पर स्थापित कन्ट्रोल रूम व अनुश्रवण/समाधान सेल के स्तर पर रू०-50,000.00 की धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है जिससे विभिन्न जनपद स्तरीय गतिविधियाँ, व्यवस्थाएँ की जा सकेंगी। इस मद को किसी अन्य मद में धनराशि कम पड़ने पर भी उपयोग किया जा सकेगा।

वाहन की व्यवस्था-

- पर्यवेक्षण के लिये जनपद स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर उपलब्धता के आधार पर राजकीय वाहनों का उपयोग किया जायेगा।
- 11 दिन की मातृत्व सप्ताह की गतिविधियों के अनुश्रवण के लिये प्रतिदिन 2 किराये के वाहन लिये जा सकते हैं जिनके लिये रू०-800.00 प्रति वाहन प्रतिदिन की दर से रू०-17600.00 प्रति ब्लॉक की धनराशि आवंटित की जा रही है।
- जनपद स्तर पर स्थापित अनुश्रवण/समाधान सेल के माध्यम से ही वाहनों की व्यवस्था एवं सम्पूर्ण पर्यवेक्षण/अनुश्रवण प्लान का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

लॉजिस्टिक एवं सत्र स्थल की व्यवस्था-

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क जाँचों एवं निःशुल्क उपचार की धनराशि को आवश्यक औषधियों/कन्ज्यूमेबिल्स व जाँच उपकरण के लिये प्रयोग में लाया जाये। प्रत्येक ए०एन०एम० के पास निम्न लॉजिस्टिक उपलब्ध होने चाहिए तथा उसे उनका उपयोग भी भली भाँति आना चाहिए।

ए०एन०एम० के उपकरणों के लिये उपकेन्द्र अनटाइड फण्ड में उपलब्ध धनराशि का भी उपयोग किया जाये।

- ✓ पर्याप्त संख्या में आयरन, कैल्शियम व एलबेन्डाजॉल की गोलियाँ आदि
 - ✓ वजन नापने की मशीन,
 - ✓ हीमोग्लोबिन की जाँच की रैपिड टेस्टिंग स्ट्रिप, लैनसेट तथा मैचिंग काउन्टर,
 - ✓ ब्लड प्रेशर मापने की मशीन (इलेक्टॉनिक या एनीरॉयड)
 - ✓ यूरीस्टिक्स की बोतल व न्यूनतम 100 स्ट्रिप्स
 - ✓ संशोधित मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड जिस पर लाभार्थी का मोबाइल, आधार व बैंक खाता संख्या अंकित किये जाने की व्यवस्था है।
 - ✓ लाल बिन्दी एवं लाल एच.आर.पी. मोहर
 - ✓ आर०सी०एच० रजिस्टर
 - ✓ आशा प्रारूप-1 टैली शीट तथा प्रारूप-2 पर माइक्रो प्लान,
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि के उपयोग के लिये विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। वी०एच०एन०डी० सत्र स्थल की समस्त व्यवस्था इस कोष से की जाये। इस कार्य में पंचायत/आंगनवाड़ी विभाग का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाये।

एच०आर०पी० दिवस का आयोजन-

दिनांक 24 व 25 अक्टूबर 2016 को एच०आर०पी० दिवस के आयोजन के लिये प्रत्येक ब्लॉक प्रभारी को तथा जनपद स्तर की चयनित इकाइयों को व्यवस्था करने हेतु निर्देश जारी कर दिये जायें।

- इस दिन सभी चिकित्सा इकाइयों पर जटिल गर्भावस्था वाली महिलाओं की जाँच एवं उपचार की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहें।
- आयरन सुक्रोज इन्जेक्शन की उपलब्धता व लाभार्थियों का रजिस्टर में अंकन सुनिश्चित किया जाये।
- सुनिश्चित करें कि इन सभी एच०आर०पी० गर्भवती महिलाओं का एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर अंकन हो जाये और इसी दिन इनके कार्ड पर एम०सी०टी०एस० नं० भी अंकित हो जाये।
- आवश्यकता होने पर सन्दर्भन के लिये 102 एम्बुलेन्स की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये।
- इस दिवस की रिपोर्ट प्रारूप-12 पर सभी इकाइयों से प्राप्त एवं संकलित कर भेजी जायेगी।

आई०ई०सी० गतिविधियाँ-

- मातृत्व सप्ताह का प्रचार प्रसार दिनांक 05 अक्टूबर 2016 से ही आरम्भ कर दिया जाये।
- इसके लिये 3' × 6' के फ्लेक्स बैनर तथा पोस्टर बनवा लिये जायें जिसका प्रारूप संलग्न है और मुद्रण योग्य सॉफ्ट कॉपी ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा रही है। प्रत्येक उपकेन्द्र क्षेत्र के लिये 2-3 बैनर तथा ब्लाक इकाई के लिये 5 बैनर, जनपदीय इकाइयों के लिये 5 बैनर आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त 250 जी०एस०एम० के आर्ट पेपर अथवा सिन्थेटिक पेपर पर 2' X 3' फुट के पोस्टर बनवाकर आवश्यक संख्या में सभी को उपलब्ध करा दिये जायें।
- प्रत्येक जनपद में इनकी संख्या वित्त उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकती है। प्रत्येक ए०एन०एम० को न्यूनतम 2-3 बैनर एवं 2 पोस्टर अवश्य आवंटित कर दें।

- ₹0-2000.00 प्रति होर्डिंग 10' X 5' फुट फ्लेक्स शीट पर (5 जनपद स्तर के लिये, 01 प्रति एफ0आर0यू0 व 01 प्रति ब्लॉक)
- सभी मुद्रण एकरूपता की दृष्टि से जनपद स्तर पर करवाये जा सकते हैं ऐसी स्थिति में यह धनराशि जनपद स्तर पर ही रखी जायेगी।
- अभियान के लिये आवश्यक 1 से 13 प्रारूपों की पर्याप्त संख्या में प्रिंटिंग व रजिस्ट्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये प्रति ए0एन0एम0 ₹0-50.00 की धनराशि औसत आंगणन हेतु निर्धारित की गयी है। इस कार्य को आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी की सहमति से जनपद स्तर अथवा ब्लॉक स्तर पर कराया जा सकता है। किसी भी स्थिति में प्रारूपों की कमी नहीं आने दी जाये।
- प्रत्येक जनपद में कम्यूनिटी रेडियो का भरपूर उपयोग किया जाये।

रिपोर्टिंग

- प्रत्येक दशा में मातृत्व सप्ताह की समाप्ति पर पूरे जनपद की रिपोर्ट दिनांक 27 अक्टूबर 2016 को प्रारूप 11 व 12 पर राज्य स्तर को ई-मेल पर matritwasaptahupnhm@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी, साथ ही www.suposhanup.in की वेबसाइट पर भी प्रेषित की जायेगी।
- MCTS पर सभी उपलब्धियों का अंकन 07 नवम्बर तक प्रत्येक स्थिति में पूर्ण हो जाना चाहिये।
- प्रत्येक दिन इस गतिविधि की रिपोर्ट ब्लॉक स्तर पर बी0पी0एम0/बी0सी0पी0एम0 व ए0आर0ओ0 के सहयोग से एकत्रित व संकलित की जायेगी।
- प्रत्येक दिन सायं 5:00 बजे तक प्रारूप-8 पर ब्लॉक स्तरीय गतिविधि का संकलन अवश्य कर लिया जाये जिसे जनपद को उपलब्ध कराया जाये।
- जनपद स्तर पर प्रत्येक दिन की रिपोर्ट एकत्रित व संकलित करने में ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच0 के निर्देशन में डी0पी0एम0 व डी0सी0पी0एम0 द्वारा पूर्ण मनोयोग से कार्य किया जायेगा।
- मण्डलीय अपर निदेशक व मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक इस पूर्ण सप्ताह की गतिविधि का गहन अनुश्रवण करेंगे तथा मण्डल की परिधि में आने वाले जनपदों के साथ समन्वय कर सभी रिपोर्टों का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करेंगे।

इस प्रकार "मातृत्व सप्ताह द्वितीय चरण" के आयोजन हेतु सभी व्यवस्थाओं के लिये एफ0एम0आर0 कोड- बी.14.33 में ₹0-430.105 लाख की धनराशि संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार जनपदों के मिशन फ्लैक्सीपूल खाते में अवमुक्त की जा रही है। इस सप्ताह के आयोजन के लिये सभी कार्य ससमय सपन्न किये जाने आवश्यक हैं अतः इस धनराशि के उपयोग के लिये डी0एच0एस0 की पूर्व अनुमति की बाध्यता नहीं है। सभी गतिविधियों के लिये जिलाधिकारी के स्तर पर होने वाली बैठक में ही निर्णय ले लिये जायें जिनकी कार्योत्तर स्वीकृति जिला स्वास्थ्य समिति की आगामी बैठक में ले ली जाये।

उपर्युक्त कम में कृपया यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय कि इस मद में स्वीकृत धनराशि इसी मद में आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही व्यय की जाय।

- किसी भी स्थिति में कोई भी भुगतान नगद नहीं किया जायगा।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

4/14/18

(आलोक कुमार)

मिशन निदेशक

तददिनांक।

पत्रांक—एन०एच०एम० / एस०पी०एम०यू० / मातृस्वा० / 131ए / 2016—17

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क०, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
3. अपर अधिशासी निदेशक, सिपसा, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेश, चि०स्वा० एवं प०क०, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एन०एच०एम०, एस०पी०एम०यू०, उ०प्र०, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, एन०एच०एम०, एस०पी०एम०यू०, उ०प्र०।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
10. गार्ड फाइल।

(डॉ० नीरा जैन)

महाप्रबन्धक मातृ स्वा०

Matritwa Saptah Budget Release for September 2016- FMR B.1.4.33

IEC support - budget in lakh Rs.												
S.no.	Districts	No of blocks	No. of FRUs	No. of ANMs	District level activities @Rs 50000	Mobility support @ Rs 17600/block	Printing of formats, reports and HRP register @ 50/ANM	Budget @ Rs			Total budget for IEC	Budget for September 2016 round
								25000/block & 2500 for district level (250/banner & 20 /poster)	5/dist & 1/FRU & 1/block	2000/hoarding (5/dist & 1/FRU & 1/block)		
1	Agra	15	3	477	0.500	2.640	0.239	3.7750	25	0.5000	4.2750	7.6535
2	Aligarh	12	6	395	0.500	2.112	0.198	3.0250	23	0.4600	3.4850	6.2945
3	Allahabad	20	6	665	0.500	3.520	0.333	5.0250	31	0.6200	5.6450	9.9975
4	Ambedkar Nagar	9	4	307	0.500	1.584	0.154	2.2750	18	0.3600	2.6350	4.8725
5	Ameti	13	3	334	0.500	2.288	0.167	3.2750	21	0.4200	3.6950	6.65
6	Amroha	6	3	193	0.500	1.056	0.097	1.5250	14	0.2800	1.8050	3.4575
7	Auraya	7	2	183	0.500	1.232	0.092	1.7750	14	0.2800	2.0550	3.8785
8	Azamgarh	22	6	551	0.500	3.872	0.276	5.5250	33	0.6600	6.1850	10.8325
9	Baghpat	6	4	220	0.500	1.056	0.110	1.5250	15	0.3000	1.8250	3.491
10	Bahraich	14	4	370	0.500	2.464	0.185	3.5250	23	0.4600	3.9850	7.134
11	Balla	17	4	425	0.500	2.992	0.213	4.2750	26	0.5200	4.7950	8.4995
12	Baranpur	9	4	236	0.500	1.584	0.118	2.2750	18	0.3600	2.6350	4.837
13	Banda	8	3	305	0.500	1.408	0.153	2.0250	16	0.3200	2.3450	4.4055
14	Barabanki	15	6	407	0.500	2.640	0.204	3.7750	26	0.5200	4.2950	7.6385
15	Bareilly	15	4	504	0.500	2.640	0.252	3.7750	24	0.4800	4.2550	7.647
16	Basti	14	3	316	0.500	2.464	0.158	3.5250	22	0.4400	3.9650	7.087
17	Bijnor	11	3	397	0.500	1.936	0.199	2.7750	19	0.3800	3.1550	5.7895
18	Budun	15	3	371	0.500	2.640	0.186	3.7750	23	0.4600	4.2350	7.5605
19	Bulandshair	16	5	401	0.500	2.816	0.201	4.0250	26	0.5200	4.5450	8.0615
20	Chandauli	9	4	281	0.500	1.584	0.141	2.2750	18	0.3600	2.6350	4.8595
21	Chitrakoot	5	2	158	0.500	0.880	0.079	1.2750	12	0.2400	1.5150	2.974
22	Deoria	16	3	378	0.500	2.816	0.189	4.0250	24	0.4800	4.5050	8.01
23	Etah	8	2	209	0.500	1.408	0.105	2.0250	15	0.3000	2.3250	4.3375
24	Etawah	8	3	189	0.500	1.408	0.095	2.0250	16	0.3200	2.3450	4.3475
25	Faizabad	11	6	297	0.500	1.936	0.149	2.7750	22	0.4400	3.2150	5.7995
26	Farrukhabad	7	3	223	0.500	1.232	0.112	1.7750	15	0.3000	2.0750	3.9185
27	Fatehpur	13	4	344	0.500	2.288	0.172	3.2750	22	0.4400	3.7150	6.675
28	Firozabad	9	4	239	0.500	1.584	0.120	2.2750	18	0.3600	2.6350	4.8385
29	GB Nagar	4	4	144	0.500	0.704	0.072	1.0250	13	0.2600	1.2850	2.561
30	Ghaziabad	4	3	175	0.500	0.704	0.088	1.0250	12	0.2400	1.2650	2.5565
31	Ghazipur	16	3	471	0.500	2.816	0.236	4.0250	24	0.4800	4.5050	8.0565
32	Gonda	16	2	380	0.500	2.816	0.190	4.0250	23	0.4600	4.4850	7.991
33	Gorakhpur	19	5	544	0.500	3.344	0.272	4.7750	29	0.5800	5.3550	9.471
34	Hamirpur	7	3	251	0.500	1.232	0.126	1.7750	15	0.3000	2.0750	3.9325
35	Hapur	4	2	204	0.500	0.704	0.102	1.0250	11	0.2200	1.2450	2.551
36	Hardoi	19	4	487	0.500	3.344	0.244	4.7750	28	0.5600	5.3350	9.4225
37	Hathras	7	4	177	0.500	1.232	0.089	1.7750	16	0.3200	2.0950	3.9155

IEC support - Budget in lakh Rs.											Total budget for IEC	Budget for September 2016 round
S.no.	Districts	No of blocks	No. of FRUs	No. of ANMs	District level activities @Rs 50000	Mobility support @ Rs 17600/block	Printing of formats, reports and HRP register @ 50/ANM	Budget @ Rs 25000/block & 2500 for district level (250/banner & 20 /poster)	hoarding 5/dist & 1/FRU & 1/block	Budget @ Rs 2000/hoarding (5/dist & 1/FRU & 1/block)		
38	Jalaun	9	3	324	0.500	1.584	0.162	2.2750	17	0.3400	2.6150	4.861
39	Jaunpur	21	4	540	0.500	3.696	0.270	5.2750	30	0.6000	5.8750	10.341
40	Jhansi	8	3	373	0.500	1.408	0.187	2.0250	16	0.3200	2.3450	4.4395
41	Kannauj	8	2	208	0.500	1.408	0.104	2.0250	15	0.3000	2.3250	4.337
42	Kanpur Dehat	10	3	249	0.500	1.760	0.125	2.5250	18	0.3600	2.8850	5.2695
43	Kanpur Nagar	10	11	432	0.500	1.760	0.216	2.5250	26	0.5200	3.0450	5.521
44	Kasganj	7	2	182	0.500	1.232	0.091	1.7750	14	0.2800	2.0550	3.878
45	Kaushambi	8	4	203	0.500	1.408	0.102	2.0250	17	0.3400	2.3650	4.3745
46	Kheri	14	3	439	0.500	2.464	0.220	3.5250	22	0.4400	3.9650	7.1485
47	Kushinagar	15	3	417	0.500	2.640	0.209	3.7750	23	0.4600	4.2350	7.5835
48	Lalitpur	6	3	217	0.500	1.056	0.109	1.5250	14	0.2800	1.8050	3.4695
49	Lucknow	8	23	385	0.500	1.408	0.193	2.0250	36	0.7200	2.7450	4.8455
50	Maharajganj	12	3	298	0.500	2.112	0.149	3.0250	20	0.4000	3.4250	6.186
51	Mahoba	4	2	170	0.500	0.704	0.085	1.0250	11	0.2200	1.2450	2.534
52	Mainpuri	9	2	278	0.500	1.584	0.139	2.2750	16	0.3200	2.5950	4.818
53	Mathura	10	4	253	0.500	1.760	0.127	2.5250	19	0.3800	2.9050	5.2915
54	Mau	9	3	244	0.500	1.584	0.122	2.2750	17	0.3400	2.6150	4.821
55	Merrut	12	4	336	0.500	2.112	0.168	3.0250	21	0.4200	3.4450	6.225
56	Mirzapur	12	3	315	0.500	2.112	0.158	3.0250	20	0.4000	3.4250	6.1945
57	Moradabad	8	3	271	0.500	1.408	0.136	2.0250	16	0.3200	2.3450	4.3885
58	Muzaffer Nager	9	3	313	0.500	1.584	0.157	2.2750	17	0.3400	2.6150	4.8555
59	Pilibhit	7	3	218	0.500	1.232	0.109	1.7750	15	0.3000	2.0750	3.916
60	Pratapgarh	17	4	426	0.500	2.992	0.213	4.2750	26	0.5200	4.7950	8.5
61	Raebareli	18	4	339	0.500	3.168	0.170	4.5250	27	0.5400	5.0650	8.9025
62	Rampur	6	3	243	0.500	1.056	0.122	1.5250	14	0.2800	1.8050	3.4825
63	Saharanpur	9	4	405	0.500	1.584	0.203	2.2750	18	0.3600	2.6350	4.9215
64	Sambhal	11	2	220	0.500	1.936	0.110	2.7750	18	0.3600	3.1350	5.681
65	Sant Kabir Nagar	8	4	203	0.500	1.408	0.102	2.0250	17	0.3400	2.3650	4.3745
66	Shajahanpur	15	3	343	0.500	2.640	0.172	3.7750	23	0.4600	4.2350	7.5465
67	Shamli	5	1	157	0.500	0.880	0.079	1.2750	11	0.2200	1.4950	2.9535
68	Shrawasti	5	3	140	0.500	0.880	0.070	1.2750	13	0.2600	1.5350	2.985
69	Sidharth Nagar	14	3	288	0.500	2.464	0.144	3.5250	22	0.4400	3.9650	7.073
70	Sitapur	19	3	499	0.500	3.344	0.250	4.7750	27	0.5400	5.3150	9.4085
71	Sonebhadra	8	4	196	0.500	1.408	0.098	2.0250	17	0.3400	2.3650	4.371
72	SRN - Bhadohi	6	3	189	0.500	1.056	0.095	1.5250	14	0.2800	1.8050	3.4555
73	Sultanpur	13	4	294	0.500	2.288	0.147	3.2750	22	0.4400	3.7150	6.65
74	Unnao	16	4	401	0.500	2.816	0.201	4.0250	25	0.5000	4.5250	8.0415
75	Varanasi	8	4	364	0.500	1.408	0.182	2.0250	17	0.3400	2.3650	4.455
Total		820	286	23580	37.5	144,320	11.790	206,875	1481	29.62	236,4950	430.105